बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक–प्र010– ख0वि0अधि0 –06 / 2017 6189 खाद्य, पटना / दिनांक– 06/12/17

प्रेषक,

पंकज कमुार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।

E-mail

विषय :– खरीफ विपणन मौसम, 2017–18 में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत राज्य के पंजीकृत किसानों से धान अधिप्राप्ति किये जाने के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्र सं0 5765 दिनांक 14.11.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसांगिक पत्र की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि मुख्य सचिव, बिहार के स्तर से निर्गत विभागीय पत्र सं0 5765 दिनांक 14.11.2017 के द्वारा खरीफ विपणन मौसम, 2017–18 अंतर्गत राज्य के पंजीकृत किसानों से भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति किये जाने से संबंधित विस्तृत कार्य–योजना एवं मार्गनिदेश प्रेषित किया गया था। उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त कार्य–योजना एवं मार्गनिर्देश की कंडिका 2 के बिन्दु संख्या 9 एवं 10 में राज्य के किसानों से धान का क्रय किये जाने से संबंधित दिशा निदेश अंकित है। उपर्युक्त कंडिका 2 के बिन्दु संख्या 09 एवं 10 में निहित प्रावधानों पर सम्यक विचारोपरांत निम्नरूपेण किसानों से धान की अधिप्राप्ति किये जाने हेतु संशोधित किया जाता है :–

क्र0सं0	वर्तमान	संशोधित
2 (ix)	किसानों से धान का क्रय संबंधित किसानों से स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रति किसान अधिकतम सीमा 150 (एक सौ पचास) क्वीं0 तक निर्धारित रहेगी, ताकि किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ अधिक से अधिक मिल पाये।	किसानों से धान का क्रय संबंधित किसानों से स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रति किसान अधिकतम सीमा 200 (दो सौ) क्वीं0 तक निर्धारित रहेगी, ताकि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ अधिक से अधिक मिल पाये।
2(x)	वैसे किसान जो दूसरे के जमीन पर खेती करते है, वे संबंधित किसान सलाहकार / वार्ड सदस्य से दूसरे के जमीन पर खेती करने से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे तथा ऑनलाईन पंजीकरण कराने के पश्चात उनसे अधिकतम 50(पचास) क्वीं0 धान की अधिप्राप्ति की जायेगी।	वैसे किसान जो दूसरे के जमीन पर खेती करते है, वे संबंधित किसान सलाहकार / वार्ड सदस्य से दूसरे के जमीन पर खेती करने से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे तथा ऑनलाईन पंजीकरण कराने के पश्चात उनसे अधिकतम 75(पचहत्तर) क्वीं0 धान की अधिप्राप्ति की जायेगी।

उपर्युक्त संशोधन प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
6/12/2017
सरकार के सचिव।

D:\Section 10\2015\KMS 2015-16.doc

ज्ञापांक प्र010– ख0वि0अधि0 –06/2017 6185 खाद्य, पटना/दिनांक– 06/12/17
प्रतिलिपि – सभी जिला के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव/सभी आरक्षी अधीक्षक/प्रशासक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0, पटना/प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, खाद्य भवन, पटना/निबंधक, सहयोग समितियॉ, बिहार, पटना एवं महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/12/2017
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक प्र010– ख0वि0अधि0 –06/2017 6189 खाद्य, पटना/दिनांक– 06/12/17
प्रतिलिपि – सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

6/12/2017
सरकार के सचिव।